

## Public Notice for Allotment of Floating Solar Projects

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के बांधो/जलाशयो पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट को बढ़ावा दिये जाने हेतु व्यवस्था प्राविधानित है। तत्क्रम में सिंचाई एवं जल ससाधन विभाग के चिन्हित 35 बांधों/जलाशयो पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना कराये जाने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की सहमति पर मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन उपरांत अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या 372/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के बांधो/जलाशयो पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु आवंटन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

उक्त के क्रम में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन एवं निर्गत शासनादेश संख्या 372/87- अति0 ऊ0 स्रो0 वि0/2024 दिनांक 14.03.2024 के क्रम में अभिकरण के कार्यालय - ज्ञाप संख्या 8021/नेडा -एसई -फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट/2023-24 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा सिंचाई एवं जल ससाधन विभाग के चिन्हित बांधों/जलाशयो पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु आवंटन किये जाने हेतु एसओपी निर्गत की गयी है। निर्गत एसओपी में निर्धारित व्यवस्थाअनुसार यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से निवेशको से आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

06 बांधो/जलाशयो (मौदहा बांध/जलाशय जो कि दिनांक 30.06.2025 तक एसओपी के अनुलग्नक-ए में उल्लेखित पीएसयू को आवंटन हेतु रिजर्व है) के आवंटन हेतु प्रथम लॉट दिनांक 01.04.2025 से 30.04.2025 तक निवेशकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु ओपेन किया गया है। दिनांक 30.04.2025 की रात्रि 12.00 बजे प्रथम लॉट बांधों/जलाशयो के आवेदन हेतु क्लोज हो जायेगा। जिन बांधो/जलाशयो के आवंटन हेतु निवेशकों द्वारा पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होंगे उनको छोड़कर अवशेष बांधों एवं जलाशयो के आवंटन हेतु पोर्टल द्वितीय लॉट हेतु दिनांक 01.05.2025 से 31.05.2025 तक ओपेन रहेगा।

निदेशक,यूपीनेडा।